

3

वित्तीय रिपोर्टिंग एवं
लेखाओं पर टिप्पणी

3

f0Rrh; f j i k fVlx , Oa
ys[kkvks i j fVli . kh

यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 Okf fDrd tek [kkrk]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण/बजट के माध्यम से लोक व्यय पर विधायी वित्तीय नियन्त्रण प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली, 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार राज्य सरकार महालेखाकार की सलाह पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये वैयक्तिक जमा (पी.डी.) खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है। निर्दिष्ट प्रशासकों को इन वैयक्तिक जमा खातों को राज्य के समेकित निधि से निधियों के हस्तान्तरण द्वारा परिचालन हेतु अधिकृत किया जाता है। यदि किसी वैयक्तिक खाते में पिछले तीन वर्षों में कोई लेन देन न हुआ हो तो इन लेखों को बंद किये जाने हेतु कोषाधिकारी सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध करेंगे। यदि तीन माह के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो महालेखाकार की सलाह पर सम्बन्धित लेखाशीर्ष में अवशेष, यदि कोई हो, को अन्तरित कर पी.डी. खाते को बंद कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट लेखाशीर्ष जैसे मुख्य शीर्ष 8443—सिविल जमा—106—वैयक्तिक जमा के अतिरिक्त भी पी.डी. खातों का संचालन किया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वैयक्तिक जमा (पी.डी.) खातों में जमा एवं संवितरणों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। 31 मार्च 2018 को 1,328 पी.डी. खातों में अवशेष ₹ 4,688.14 करोड़ में से ₹ 2,460.82 करोड़ की राशि 31 पी.डी. खाते मुख्य शीर्ष 8342—अन्य जमा—120—विविध जमा से सम्बन्धित थी, जो पी.डी. खातों के लिए निर्दिष्ट लेखाशीर्ष नहीं हैं। अग्रेतर, सांहितिक प्रावधानों के विपरीत, ₹ 108.70 करोड़ की राशि 641 पी.डी. खातों में अनियमित रूप से जमा थी, जबकि ये पी.डी. खाते तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित थे। यह प्रथा विधायिका के अभिप्राय का उल्लंघन करती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित धनराशि का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय।

अग्रेतर, वर्ष 2017-18 में राज्य के 77 कोषागारों में से मात्र 17 कोषागारों द्वारा रखे जा रहे वैयक्तिक जमा खातों का मिलान कराया गया। शेष 60 कोषागारों के मिलान की स्थिति सम्बन्धित कोषागारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी।

पी.डी. खातों में अवशेष राशियों का मिलान न कराया जाना तथा इन पी.डी. खातों में अव्ययित अवशेषों को राज्य के समेकित निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले अंतरित न किया जाना लोक निधि के दुरुपयोग, कपट एवं गबन को प्रवृत्त करता है।

/ ८८५% वित्त विभाग द्वारा सभी पी.डी. खातों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की जानी चाहिए कि इन पी.डी. खातों में अनावश्यक पड़ी सभी धनराशियों को तत्काल

समेकित निधि में प्रेषित किया जाय। अग्रेतर, वित्तीय नियमावली में निहित निर्देशों को वित्त विभाग द्वारा दोहराते हुये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियमों के अनुसरण करने में असफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

3.2 mi Hkkx i ek. k&i =kः dks i f'kr u fd; k tuk

वित्तीय नियमावली में निर्धारित है कि जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण—पत्र प्राप्त किये जाने चाहिए, जिन्हें सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को निधियों का उपभोग विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये, अग्रेषित किया जाना चाहिये।

31 मार्च 2018 तक, वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक की अवधि में अवमुक्त की गई अनावर्ती अनुदान राशि ₹ 83,979.44 करोड़ से सम्बन्धित कुल 1,53,949 उपभोग प्रमाण पत्र (यू.सी.) लम्बित थे। अतः इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 83,979.44 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए इसे विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। उपभोग प्रमाण—पत्रों का अधिकता में अप्राप्त रहना धन के दुरुपयोग एवं कपट के जोखिम से परिपूर्ण था। विवरण | क्ष. 3.1 में दर्शाया गया है।

| क्ष. 3.1% yfEcr mi Hkkx i ek. k&i =

vof/k	yfEcr mi Hkkx i ek. k&i =kः dh a[; k	/kuj kf' k (₹ dj kM+ e)
2015-16 तक	1,30,773	46,393.80
2016-17	8,653	13,745.16
2017-18	14,523	23,840.48
; kx	1,53,949	83,979.44

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

अधिकांश अप्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं कृषि विभाग से सम्बन्धित थे, जैसा कि | क्ष. 3.2 में सारांशीकृत किया गया है।

| क्ष. 3.2% yfEcr mi Hkkx i ek. k i =kः ds foHkkxkः dh | ph

०० । ०	foHkkx dk uke	yfEcr mi Hkkx i ek. k&i =kः dh a[; k	/kuj kf' k (₹ dj kM+ e)	i fr' krk
1.	समाज कल्याण विभाग	31,582	10,409.94	12.40
2.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	19,044	8,739.89	10.41
3.	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग	3,527	6,662.95	7.93
4.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	10,576	2,673.41	3.18
5.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	10,124	869.13	1.03
6.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	7,973	678.16	0.81
7.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,949	606.77	0.72

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

अप्रस्तुत उपभोग प्रमाण—पत्रों के प्रकरण नियमित रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किये जाते रहे हैं, तथापि कोई सुधार नहीं

हुआ। कई प्रकरणों में, उन्हीं प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन्हीं विभागों से आगामी अनुदानों का प्राप्त करना जारी रखा गया जबकि पूर्व के अनुदानों के उपभोग प्रमाण पत्र लम्बित थे।

117% राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018 के उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्रतिवेदन संख्या 1 के प्रस्तर संख्या 3.11 की संस्तुति पर कार्यवाही किया जाना चाहिए एवं उपभोग प्रमाण पत्रों के समय से प्राप्ति तथा नया अनुदान अवमुक्त करने से पूर्व सभी लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों के अविलम्ब प्राप्ति की समीक्षा किये जाने की निगरानी हेतु विभाग की आन्तरिक नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3.3 योग्यता वाली विभागों की अपेक्षित धनराशि

वित्तीय नियमावली में अपेक्षित है कि संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक द्वारा आहरित अग्रिमों का समायोजन शीघ्रता से विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) के माध्यम से किया जाय। तथापि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2018 तक ₹ 33.33 करोड़ धनराशि के 3,497 ए.सी. देयक समायोजन हेतु लम्बित थे, जिसका विवरण । के 3.3 में दर्शाया गया है। लम्बे समय तक समर्थित विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के अन्तर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

। के 3.3 योग्यता वाली विभागों की अपेक्षित धनराशि

vof/k	yfEcr Mh-1 h- fcyk dhl a;k	/kuj kf' k (₹ dj kM+e)
2015-16 तक	3,430	24.07
2016-17	20	0.70
2017-18	47	8.56
; kx	3,497	33.33

(ज्ञात: वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 में 228 ए.सी. देयकों की धनराशि ₹ 21.57 करोड़ में से 51 ए.सी. देयक, जिनकी धनराशि ₹ 7.79 करोड़ थी, केवल मार्च 2018 में आहरित किये गये जिसमें 10 ए.सी. देयकों, जिनकी धनराशि ₹ 7.07 करोड़ थी, दिनांक 26 मार्च से 31 मार्च 2018 के मध्य आहरित किये गये। मार्च माह में, विशेष रूप से मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में ए.सी. देयकों के सापेक्ष अधिक व्यय करना, यह दर्शाता है कि आहरण प्रथमतः बजट प्रावधानों का पूर्णतया उपभोग करने के लिये किये गये, जो अपर्याप्त बजट नियंत्रण को इंगित करता है।

मार्च 2018 में आहरित 51 ए.सी. देयकों की धनराशि ₹ 7.79 करोड़ में से चार देयक धनराशि ₹ 6.48 करोड़ (83.18 प्रतिशत) कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) तथा 15 देयक, धनराशि ₹ 0.98 करोड़ नागर विमानन विभाग द्वारा आहरित किये गये थे। अधिकांश डी.सी. देयक । के 3.4 में सूचीबद्ध विभागों से प्रतीक्षित थे।

। के 3.4 योग्यता वाली विभागों की अपेक्षित धनराशि

Ø- ।	foHkkx dk uke	yfEcr foLrr vkdfLed ns dk dh a;k	yfEcr /kuj kf' k (₹ dj kM+e)	ifr'kr
1.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	05	7.10	21.30
2.	सचिवालय, प्रशासन विभाग	127	7.00	21.00
3.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	153	3.62	10.86

०- । ॥	foHkkx dk uke	yfEcr foLr'r vkdfLed ns dk dh a[; k	yfEcr /kuj kf' k (₹ dj kM+ e)	i fr'kr
4.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	520	1.67	5.01
5.	महिला एवं बाल कल्याण	113	1.40	4.20
6.	गृह विभाग (होमगार्डस)	21	1.39	4.17
7.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	30	1.28	3.84
8.	नागर विमानन	49	1.22	3.66

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

एसी. देयकों से अनावश्यक आहरण एवं निर्धारित समयान्तर्गत डीसी. देयक प्रस्तुत न किया जाना वित्तीय व्यवस्था का उल्लंघन है एवं लोक निधि के दुर्विनियोजन के जोखिम का संकेतक है।

1.17% वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय से लम्बित सभी एसी. देयकों का समायोजन समयबद्ध तरीके से किया जाये एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये एसी. देयकों से आहरण न हो।

3.4 j kdM€gh dk vi || k}@vuj {k. k u fd; k tkuk

प्राप्तियों एवं वितरणों के वित्तीय संव्यहारों के लिये रोकड़बही एक प्राथमिक अभिलेख है जिसे प्रत्येक कार्यालय में प्राप्तियों एवं शासकीय धन की अभिरक्षा को उचित ढंग से सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य रूप से अनुरक्षित किया जाना आवश्यक है। रोकड़बही का अनुरक्षण न किया जाना/अनुचित अनुरक्षण से न केवल शुद्धता एवं लेखे की पूर्णता प्रभावित होती है अपितु शासकीय निधियों के सम्भावित कपट, दुर्विनियोग एवं गबन का संकेतक भी है।

राज्य विधायिका को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों एवं महालेखाकार द्वारा विभिन्न विभागों को अलग से जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में राज्य सरकार की विभिन्न इकाईयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण न किये जाने/अनुचित अनुरक्षण से सम्बन्धित कई प्रकरणों को सम्मिलित किया जाता रहा है। अद्यतन लेखापरीक्षा में पाये गये कुछ प्रकरण *i/f'k"V 3.1* में सूचीबद्ध किये गये हैं। ये प्रकरण अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 के दौरान 390 इकाईयों की नमूना जांच में पाया गया, ऐसे प्रकरण अन्य इकाईयों में भी प्रतिबिम्बित हो सकते हैं। इसलिए, अन्य आहरण एवं वितरण अधिकारियों के प्रकरण में आवश्यक अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा आन्तरिक जांच कराया जाना चाहिये।

1.17% वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ इकाईयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण किया जाये।

3.5 j ksdM+ vo' k"k ei fHkJurk

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत अवशेषों के सत्यापन प्रमाण—पत्र के अनुसार, माह मार्च 2018 के लिये शासन का डेबिट अवशेष ₹ 125.55 करोड़ था जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रमाणित अन्तिम रोकड़ अवशेष ₹ 265.21 करोड़ था। इस प्रकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये (31.03.2018 को) राज्य सरकार के रोकड़ शेष में विगत वर्षों के अवशेषों सहित ₹ 139.66 करोड़ (निवल डेबिट) का अन्तर था, जिसका मिलान प्रक्रियाधीन था।

3.6 /kujkf' k; k dk dJnt; | Mdf fuf/k ei gLrkUrj.k u fd; k tkuk

मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में, केन्द्रीय सङ्क निधि (सी.आर.एफ.) से सम्बन्धित लेखा प्रक्रिया वर्णित है। इस प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त ऐसे अनुदान को सर्वप्रथम लोक लेखे में स्थानान्तरित किया जाना चाहिये, जहां से सङ्कों तथा सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय वहन किया जाना चाहिये। यद्यपि भारत सरकार से सी.आर.एफ. अनुदान के रूप में वर्ष 2017–18 में प्राप्त, ₹ 890.24 करोड़ को लोक लेखे में स्थानान्तरित करने में राज्य सरकार विफल रही, तथापि सङ्कों एवं सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर ₹ 3,901.73 करोड़ का व्यय किया गया था, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 890.24 करोड़ में से विनिर्दिष्ट उद्देश्यों पर कितना उपभोग किया गया।

राज्य सरकार ने बताया कि चूंकि केन्द्र सरकार केन्द्रीय सङ्क निधि (केन्द्र सरकार द्वारा सृजित) से राज्य सरकार को सङ्क निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करती है जो मुख्य शीर्ष '1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान' के अधीन क्रेडिट होता है एवं सम्बन्धित मुख्यशीर्ष 3054/5054 से राज्य की सङ्कों के अनुरक्षण पर व्यय किया जाता है, जो राज्य सरकार की परिसम्पत्ति है, तथा इसलिए उस अनुदान के समतुल्य राशि का हस्तांतरण मुख्यशीर्ष 8449—103—केन्द्रीय सङ्क निधि को किया जाना वांछनीय नहीं था।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह केन्द्रीय सङ्क निधि की लेखा प्रक्रिया में विचलन था जिसके कारण केन्द्रीय सङ्क निधि के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपभोग में अपारदर्शी था।

3.7 C; kt dk | ek; kstu

राज्य सरकार सेक्टर “Vkb—लघु बचतें, भविष्य निधि आदि, t—संचित निधि (V)—ब्याज वाली संचित निधि” एवं सेक्टर “के—जमा तथा अग्रिम—(V) ब्याज वाले जमा” के अन्तर्गत अवशेषों के सम्बन्ध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिये उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में वर्ष 2017-18 में समायोजन की स्थिति निम्नवत् थी:

- (अ) वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा लघु बचतें, भविष्य निधि आदि पर ₹ 3,655.47 करोड़ के ब्याज (मुख्य शीर्ष '2049—ब्याज भुगतान—03—लघु बचतें, भविष्य निधि आदि पर ब्याज' के अन्तर्गत) का भुगतान किया गया। राज्य

सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में 31 मार्च 2018 को राज्य लेखे में सा.भ.नि. चतुर्थ श्रेणी शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 14,707. 65 करोड़ का अवशेष था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा उस पर ब्याज की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। कोषागारों द्वारा सूचित क्रेडिट तथा डेबिट के आधार पर यह राशि ₹ 1,071.78 करोड़ आगणित की गई।

- (ब) इसी प्रकार, वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में सेक्टर D-(V) ब्याज वाले जमा के अधीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित ₹ 545.68 करोड़ का बकाया अवशेष था एवं राज्य सरकार द्वारा उस पर ब्याज के रूप में केवल ₹ 25.78 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में सेक्टर D-(V) ब्याज वाले जमा (परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत ₹ 545.68 करोड़ के अवशेष को छोड़कर) में ₹ 3,221.51 करोड़ का निवल जमा बकाया अवशेष भी था। जबकि राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

/ १८८८% वित्त विभाग को लघु बचतें, भविष्य निधि, संचित निधि एवं जमा तथा अग्रिम के अधीन सभी ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज दर्ज करने हेतु अवशेषों की समीक्षा करके समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

3-8 jktLo vkf/kD; , oj jkt dks"kh; ?kkVs i j i Hkko

प्राप्ति एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के परिणामस्वरूप वित्त लेखे 2017-18 के अनुसार, राजस्व आधिकाय में ₹ 6,340.88 करोड़ की निवल अतिशयता हुई। अग्रेत्तर, राजकोषीय घाटे में ₹ 6,405.14 करोड़ की न्यूनता भी हुई, जैसा। के. kh 3-5 में दर्शाया गया है।

I kj . kh 3-5% jkT; ys[ks ds vuf kj jktLo vkf/kD; , oj jkt dks"kh; ?kkVs k i j i Hkko
₹ dj kM+e%

en	jktLo vkf/kD; i j i Hkko		jkt dks"kh; ?kkVs i j i Hkko	
	jktLo vkf/kD; dh vfr'k; rk	jktLo vkf/kD; dh U; lirk	jkt dks"kh; ?kkVs dh vfr'k; rk	jkt dks"kh; ?kkVs dh U; lirk
राजस्व के स्थान पर पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत दर्ज लघु निर्माण कार्य, सहायता अनुदान, वाणिज्यिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान तथा कम्प्यूटर का रख-रखाव एवं इसकी लेखन सामग्री के क्रय पर व्यय (वित्त लेखे भाग-I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 1(v))	49.68
पूंजीगत के स्थान पर राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत दर्ज अस्पताल के लिये आवश्यक अवस्थापना तथा स्टाफ कार के क्रय पर व्यय (वित्त लेखे भाग-I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 1(v))	..	113.94
बी.पी.एल. परिवारों के लिये अनुपयोगी अनुदानों (वर्ष 2013-14 के) का 2017-18 में	600.00	600.00

प्राप्ति शीर्ष को हस्तान्तरण (वित्त लेखे भाग—I लेखाओं पर टिप्पी की प्रस्तर संख्या 2 (xi) (अ))				
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकारी अंशदान को राज्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्ति शीर्ष को वापस अन्तरण (वित्त लेखे भाग—I लेखाओं पर टिप्पी की प्रस्तर संख्या 2 (xi) (डी))	470.39	470.39
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदान न करना (वित्त लेखे भाग—I लेखाओं पर टिप्पी की प्रस्तर संख्या 3(i))	465.11	465.11
प्रत्याभूति प्रतिदान निधि को अंशदान न करना (वित्त लेखे भाग—I लेखाओं पर टिप्पी की प्रस्तर संख्या 3(ii))	290.75	290.75
निक्षेप निधि से धनराशि का राजस्व प्राप्तियों के रूप में समेकित निधि को अन्तरण (वित्त लेखे भाग—I लेखाओं पर टिप्पी की प्रस्तर संख्या 3(v)(अ))	4,422.00	4,422.00
एन. डी. आर. एफ. अनुदान का उपभोग / अन्तरण न किया जाना (वित्त लेखे भाग—I लेखाओं पर टिप्पी की प्रस्तर संख्या 3(v)(ब))	119.67			119.67
संचित निधि अवशेषों (राज्य आपदा अनुक्रिया निधि) पर ब्याज का भुगतान न किया जाना। (वित्त लेखे भाग—I लेखाओं पर टिप्पी की प्रस्तर संख्या 3(viii)(ब))	37.22	37.22
	; kx	6,454.82	113.94	-
				6,405.14

(जोत: वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

उपरोक्त दृष्टि से, राज्य का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा जो क्रमशः ₹ 12,552 करोड़ एवं ₹ 27,810 करोड़ था, वास्तव में ₹ 6,211 करोड़ एवं ₹ 34,215 करोड़ होगा।

3.9 HKOU , OI VU; | flueekl Jfed dY; k.k mi dj

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बी.ओ.सी.डब्लू.) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बी.ओ.सी.डब्लू. (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 10 या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया गया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम, अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशा में सुधार के उद्देश्य एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान करता है। तदनुसार, उ.प्र. सरकार ने उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया, तथा, उपकर अधिनियम के अनुसार, एक प्रतिशत

की दर से उपकर उद्ग्रहित किया। उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. नियमावली 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 50 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 50 का संग्रहण किया जाना निहित है। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है।

3-9-1 mi dj dk ys[kkdu

यह देखा गया कि कल्याण बोर्ड द्वारा गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। विगत पांच वर्षों (2013-18) की उपकर प्राप्तियों एवं उपभोग का विवरण। kj . kh 3-6 में दर्शाया गया है।

Lkkj . kh 3.6% i athdj . k 'k/d] | xfgr mi dj , oa mi Hkkx dh foRrh; fLFkfr
(₹ dj KM+e)

Ø- I	Ok"kl	i kj fHkd vo' k"k	i kfIr; kj				dk"kkxkj I s i klr Je mi dj kj KT; I j dkj½	dly mi yC/k fuf/k	O; ;	vflre vo' k"k
1	2013-14	730.11	17.84	458.46	165.00	49.58	1,420.99	98.12	1,322.87	
2	2014-15	1,322.87	28.59	500.44	9.25	97.07	1,958.22	127.63	1,830.59	
3	2015-16	1,830.59	14.55	686.81	0	128.37	2,660.32	202.41	2,457.91	
4	2016-17	2,457.91	13.00	829.60	10.00	162.23	3,472.74	277.78	3,194.96	
5	2017-18	3,194.96	10.54	789.79	36.96	214.36	4,246.61	324.14	3,922.47	

(स्रोत: सचिव, बी.ओ.सी.डब्लू.) (अन्तिम आंकड़े)

बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं, इसलिए लेखापरीक्षा में आय एवं व्यय की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। राज्य सरकार द्वारा 16 विभागों के अधिकारियों को उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक नामित (सितम्बर 2010) किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) में सम्बन्धित अधिकारियों को संग्रहित उपकर की प्राप्तियों को बोर्ड द्वारा इस हेतु संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये। उपकर को राज्य की समेकित निधि में लाये बिना सीधे बैंक खाते में स्थान्तातरण किये जाने का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उपकर, शुल्क आदि की कितनी धनराशि उपकर निर्धारण अधिकारियों एवं उपकर संग्रहणकर्ता द्वारा संग्रहण किया गया एवं कितनी धनराशि बोर्ड को स्थानान्तरित की गयी।

3-9-2 Jfed mi dj dk mi Hkkx

राज्य सरकार द्वारा बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण निधि से सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों को अधिसूचित किया गया यथा मातृत्व हितलाभ, पेंशन, आवास क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अन्त्येष्टि सहायता, चिकित्सीय सहायता, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा/शादी हेतु वित्तीय सहायता आदि। वर्ष 2013-18 की अवधि में इन योजनाओं पर हुये व्यय का विवरण। kj . kh 3.7 में दर्शाया गया है।

०k"Kz	mi yC/k fuf/k ₹ dj kM+ e॥	I pklfyR ; kstuk; ॥ । ॥[; k vko॥u ₹ dj kM+ e॥	; kstukvk॥ ij okLrfod 0; ; ₹ dj kM+ e॥	०k"Kz ds vr rd lkathकृ Jfed	vkPNkfnr Jfed	Ikfr'krrk			
					vkPNkfnr Jfed	vko॥u ds I ki ॥k mi Hkkx	mi yC/k fuf/k ds I ki ॥k mi Hkkx		
2013-14	1,420.99	18	301.90	93.39	10,90,192	95,295	8.74	30.93	6.57
2014-15	1,958.22	22	457.90	105.96	19,58,544	2,14,121	10.93	23.14	5.41
2015-16	2,660.32	21	605.61	141.82	27,41,452	2,77,909	10.14	23.42	5.33
2016-17	3,472.74	23	752.83	249.88	34,27,104	5,16,851	15.08	33.19	7.20
2017-18	4,246.61	18	514.06	282.57	42,08,744	3,50,384	8.33	54.97	6.65

(स्रोत: सचिव, बी.ओ.सी.डब्लू) (अनन्तिम आंकड़े)

जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पांच से सात प्रतिशत व्यय किया गया एवं आठ से 15 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया।

वर्ष 2017-18 में पड़ोसी राज्यों की तुलना में, उपलब्ध निधियों के सापेक्ष उपभोग छत्तीसगढ़ (42 प्रतिशत), झारखण्ड (21 प्रतिशत) एवं मध्य प्रदेश (14 प्रतिशत) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में कम (सात प्रतिशत) था। जो अन्य राज्यों की तुलना में, उत्तर प्रदेश में उपकर निधियों का उपभोग के न्यून स्तर को इंगित करता है।

/ ।।।।। उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं सन्तुमाण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अधिदेश की पूर्ति किया जाना चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यम से, के स्थान पर बोर्ड के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरण किये जाने के अपने आदेशों की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।

3.10 fodkl I kf/kdj .k॥ dks vfrfj Dr LVKEi M; Mh dk vUrj .k

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के संग्रहण करने एवं बाद में उसे विर्निदिष्ट अनुपात में विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नगर निगमों, नगर पालिका/परिषदों को हस्तान्तरण किये जाने का प्रावधान है।

स्टाम्प ड्यूटी एवं अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त धनराशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, 02-स्टाम्प नान-जुडिशियल, 102-स्टाम्प बिक्री के अधीन किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के लेखांकन के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या प्राप्त समस्त धनराशियों को सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों/विकास प्राधिकरणों को विर्निदिष्ट अनुपात में हस्तान्तरित कर दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश (अप्रैल 2017) में निर्धारित किया गया है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (एच.यू.पी.डी.) द्वारा अनुमोदित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु

सभी प्राधिकरणों को धनराशि अवमुक्त करेगा। 2017-18 में, ₹ 624 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष एच.यू.पी.डी. द्वारा मात्र ₹ 201.91 करोड़ का वितरण किया गया। विभिन्न प्राधिकरणों को हस्तान्तरित धनराशि (₹ 201.91 करोड़) का विवरण /f/f/k/V 3.2 में दर्शाया गया है।

विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/परिषदों को निधियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में, यह पाया गया कि सरकार द्वारा हस्तान्तरित अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के व्यय का पुस्तांकन मुख्यशीर्ष 2216—आवास या 2217—नगर विकास, जैसा प्रकरण हो, के स्थान पर मुख्यशीर्ष 3475-800-03 के अधीन किया जा रहा था।

अग्रेतर, सरकार द्वारा अतिरिक्त दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के विभाजन की प्रक्रिया के निर्धारण (सितम्बर 2013) में, एकत्र धनराशि का 25 प्रतिशत डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि (डी.यू.टी.एफ.) को स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया गया जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संग्रहित दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नगर निगमों, नगर पालिकाओं/परिषदों को करना था और इसलिये निधि की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को स्थानान्तरित किया जाना अनियमित था। यह पाया गया कि सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से एवं आगे डी.यू.टी.एफ. के लिये निरन्तर प्रावधान किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में किये गये प्रावधान एवं व्यय का विवरण /kj.kh 3.8 में दर्शाया गया है।

Lkkj.kh 3.8% MMhd\$M uxj i f j ogu fuf/k ds fy; s i ko/kku@0; dk fooj.k
₹ dj KM+e9

0"kl	i ko/kku	0; ;
2014-15	300	285
2015-16	434	430
2016-17	375	00
2017-18	375	00

(ज्ञात: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2017-18 में प्रावधानित धनराशि ₹ 375 करोड़ वित्त विभाग से सहमति प्राप्त न होने के कारण व्यय नहीं हो सका था।

/f/f/k/V राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्तियाँ एवं उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों/निगमों आदि को स्थानान्तरित धनराशि, लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को हस्तान्तरण सम्बन्धी आदेश, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, की समीक्षा भी राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

3.11 yfecr i dj.kh dh fji kfV/k

वर्ष 2017-18 की अवधि तक राज्य सरकार द्वारा सूचित गबन या हानि के 136 प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित थे, जिसमें ₹ 9.35 करोड़ की धनराशि निहित थी। 136 प्रकरणों में से 102 प्रकरणों में प्राथमिकी सूचना दर्ज कराई गई थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण /f/f/k/V 3.3 में दर्शाया गया है। ऐसे

प्रकरणों की प्रकृति का विवरण */f/f'k"V 3.4* में दर्शाया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये लम्बित प्रकरणों की प्रकृति एवं अवधिवार स्थिति को *| kj . kh 3.9* में सारांशीकृत किया गया है।

| kj . kh 3.9% yfEcr i adj . kks dh fLFkfr

vof/kokj yfEcr i adj . kks	yfEcr i adj . kks dh i kfr
vof/k ₹ 0 "kks e%	i adj . kks dh i a[; k
0 – 5	3
5 – 10	19
10 – 15	19
15 – 20	13
20 – 25	32
25 एवं इससेअधिक	50
; kx	136
	935.22

(स्रोतसम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

कुल लम्बित 135 प्रकरणों (31 मार्च 2017 तक) जिनमें निहित धनराशि ₹ 8.83 करोड़ थी, में से वर्ष 2017-18 में ₹ 0.57 लाख के एक प्रकरण का निस्तारण/अपलेखन (*/f/f'k"V 3.5*) किया गया जबकि दो प्रकरणों ₹ 53.22 लाख के जोड़े गये जिससे मार्च 2018 तक कुल 136 प्रकरणों में निहित धनराशि ₹ 9.35 करोड़ लम्बित थी। लम्बित रहने का कारण, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, *| kj . kh 3.10* में सूचीबद्ध है।

| kj . kh 3.10% yfEcr i adj . kks ds dkj . k

foyEc@vo' ksk i adj . kks dk ds dkj . k	i adj . kks dh i a[; k	/kuj kf' k ₹ yk[k e%
क विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित थे	27	189.67
ख विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	73	541.06
ग आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	1	4.14
घ वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित	9	6.40
ड माननीय न्यायालयों में लम्बित	26	193.95
; kx	135	935.22

(स्रोतसम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

/Lrf% शासन को अधिपत्रित विभागीय कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करनी चाहिये एवं ऐसे प्रकरणों की रोकथाम/पुनरावृत्ति में कमी के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

3.12 foHkkxh; okf.kfT; d mi Øeksl ds i kQkekL ys[ks

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप देना एवं लेखाबन्दी के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तथापि, यह पाया गया कि, राज्य के नौ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में से तीन ने कई वर्षों से अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था (*/f/f'k"V 3.6%*)।

3.13 | koltfud {ks= ds mi Øek@fuxek@ ds ys[kkvik@ ds vflUrrehdj.k e@ foyEc

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 एवं 210 के अनुसार कम्पनियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के अन्दर यथा सितम्बर के अन्त तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार का प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के साथ पठित धारा 129(2) में भी निहित है। ऐसा करने में विफलता कम्पनी अधिनियम, 2013²⁶ की धारा 129(7) के अधीन दण्ड को आकर्षित करती है, जिसमें निर्धारित है कि दोषी कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी जो अनुपालन नहीं करने के उत्तरदायी है, जेल की सजा जो एक वर्ष तक या अर्थदण्ड रूपया पचास हजार से कम न हो जिसे रूपया पांच लाख तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों के साथ दण्डनीय होंगे। सांविधिक निगमों के प्रकरण में, संचालित अधिनियम उनसे अपेक्षा करता है कि प्रत्येक वर्ष उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, सम्प्रेक्षित एवं राज्य विधायिका में प्रस्तुत हो।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, उ.प्र. में 82 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के लेखे बकाये हैं, जिनका विवरण | kj . kh 3-11 में दर्शया गया है।

| kj . kh 3-11: 31 ekpl 2018 dks i h-, l -; ¶ ds okf"kl@ ys[kkvik@
ds cdk; s dk vof/kokj fooj . k

Ø- @	fooj . k	fØ; k' khy	vfØ; k' khy	; kx
1	पी.एस.यू. की संख्या	61	46	107
2(अ)	बकाये लेखे वाले पी.एस.यू./निगम की संख्या	54	34	88
2(ब)	बकाये लेखाओं की संख्या	207	531	738
3(अ)	5 वर्ष से कम बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	36	11	47
3(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	66	24	90
4(अ)	5 से 10 वर्ष के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	14	5	19
4(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	95	37	132
5(अ)	10 एवं उससे अधिक वर्षों के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	4	18	22
5(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	46	470	516
6	बकाये लेखाओं की सीमा (वर्ष में)	1 से 14	1 से 36	1 से 36

(चोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 30 सितम्बर 2018 तक अद्यतन् अन्तिम लेखे)

उपरोक्त सुसंगत अधिनियमों का अनुपालन व्यतिक्रमी कम्पनियों एवं निगमों द्वारा सुनिश्चित कराये जाने में सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को सूचित करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाओं के

²⁶ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210(5) पूर्व में निर्धारित था कि यदि कोई व्यक्ति, जो कम्पनी का निदेशक हो, इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में युक्तिसंगत कदम उठाने में विफल रहता है तो छः माह का कारावास, या रूपया दस हजार तक अर्थदण्ड या दोनों के साथ दंडित होंगे।

अन्तिमीकरण न होने के कारण, कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा, जैसा कम्पनी अधिनियम में निर्धारित है, एवं निगमों की संवैधानिक लेखापरीक्षा, जैसा उनसे सम्बन्धित अधिनियमों में निर्धारित है, करने में असमर्थ रहा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा 24 क्रियाशील कम्पनियों/सांविधिक निगमों को लेखाओं के बकाया अवधि के दौरान बजटीय सहायता ₹ 57,780.21 करोड़ (इक्विटी: ₹ 19,605.36 करोड़, ऋण: ₹ 4,581.27 करोड़, पूंजीगत अनुदान ₹ 11,210.69 करोड़, अन्य अनुदान: ₹ 9,773.86 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 12,609.03 करोड़) तथा प्रतिभूति ₹ 42,527.09 करोड़ दिया गया, जिसका विवरण /f/f'k/V 3.7 में दर्शाया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 2.44 करोड़ का ऋण दो अक्रियाशील कम्पनियों²⁷ को उपलब्ध कराया जिनके लेखे बकाये में थे। इस प्रकार इन पी.एस.यू. द्वारा वित्तीय सहायता के लिये की गयी मांग की वास्तविकता का निर्णय करने के लिये लेखाओं के अभाव में भी, वित्त विभाग द्वारा इन पी.एस.यू. को इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान/सब्सिडी के अंतः प्रवाह के रूप में बजटीय सहायता नियमित रूप से उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार को व्यय की उपयोगिता देखने की आवश्यकता है।

/f/f'k/V 3.7 वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू. के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया हैं एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बने एवं उन सभी प्रकरणों में वित्तीय सहायता की समीक्षा करनी चाहिए जहां लेखे निरन्तर बकाया हैं।

3.14 ykHkkd k ?kkf'kr u fd; k tkuk

राज्य सरकार द्वारा एक लाभांश नीति प्रतिपादित (अक्टूबर 2002) की गयी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के योगदान का न्यूनतम पांच प्रतिशत लाभांश भुगतान करना आवश्यक था। तदनुसार, 20 पी.एस.यू. द्वारा अपने अद्यतन् लेखे के आधार पर ₹ 548.92 करोड़ का लाभांश घोषित करना था (/f/f'k/V 3.8)। तथापि, मात्र 11 पी.एस.यू. ने ₹ 8.56 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष नौ लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू.²⁸ ने ₹ 540.36 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया, जो न्यूनतम लाभांश के भुगतान सम्बन्धी राज्य सरकार की नीति के विपरीत था।

/f/f'k/V 3.8 राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. द्वारा वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा किया जाय।

3.15 bfDoVh@_.kk dk feyku u fd; k tkuk

निवेश प्राप्तकर्ता संगठन/राज्य पी.एस.यू. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी एवं लम्बित ऋण के आंकड़े राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के संगत होना चाहिए।

²⁷ उत्तर प्रदे”। राज्य टेक्सटाइल निगम लिमिटेड (ऋण : ₹ 1.13 करोड़; वर्ष 2016-17 तक के लेखाओं का अंतिमीकरण) तथा उत्तर प्रदे”। राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड (ऋण : ₹ 1.31 करोड़; वर्ष 2016-17 तक के लेखाओं का अंतिमीकरण)।

²⁸ उत्तर प्रदे”। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे”। महिला कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे”। बीज विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे”। भूमि सुधार निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे”। मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे”। निर्यात संवर्धन परिषद, आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, लखनऊ मंडलीय विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदे”। बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड।

31 मार्च 2018 तक, सरकार ने विभिन्न इकाइयों²⁹ में कुल ₹ 1,04,779 करोड़ का निवेश किया था। तथापि, निवेश प्राप्तकर्ता संगठनों की लेखाबही के अनुसार ₹ 1,15,216 करोड़ की धनराशि थी। आंकड़ों में ₹ 10,437 करोड़ की भिन्नता का मिलान आवश्यक था।

अग्रेतर, वित्त लेखे 2017-18 के अनुसार, कुल ऋण 29,720.31 करोड़ में से ऋण राशि ₹ 2,264.62 करोड़ का मिलान वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा शासकीय लेखा से नहीं किया गया था।

14.74% वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशों, ऋणों एवं गारन्टीयों से सम्बन्धित अभिलेखों एवं लेखे में भिन्नता के मिलान के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हक,) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

3.16 ys[kkvk] e] vi kj nf' k]k

अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन तभी किया जाना अभीष्ट है जब लेखे में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को कम करता है।

जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में लेखे के विभिन्न राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800 परिचालित था। इस प्रकार व्यय पक्ष में ₹ 27,162.32 करोड़ जो कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का लगभग 8.90 प्रतिशत था, विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये।

इसी प्रकार, लेखे के विभिन्न राजस्व मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 18,383.80 करोड़ (जो कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 6.59 प्रतिशत) विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये।

ऐसे उदाहरण जहाँ अधिक भाग (सम्बन्धित मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, का विवरण ys[kkvk] i j fV i .kh ½forr ys[k&Hkkx&1½ के /f/f'k"V /k एवं X में दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के विगत प्रतिवेदनों में यह प्रकरण निरन्तर प्रतिवेदित किया जाता रहा है। वर्ष 2016-17 की तुलना में, वर्ष 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्ति का लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत बहुप्रयोजन पुस्ताकानं 14.34 प्रतिशत से घटकर 6.59 प्रतिशत रह गया, जबकि कुल व्यय का लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय में 11.53 प्रतिशत से घटकर 8.90 प्रतिशत रह गया। तथापि, तथ्य है कि सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अधीन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्तियों एवं व्ययों को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत लेखांकन गंभीर चिन्ता का कारण है क्योंकि यह लेखे की पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

²⁹ संवैधानिक निगमों (₹ 906 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 1,01,623 करोड़), सहकारिताएं (₹ 2,204 करोड़) एवं बैंक (₹ 58 करोड़)—₹ 12 करोड़ के निवेश के विवरण का मिलान प्रगति में था।

/ ।।८८८% वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत दर्शित हो रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अधीन पुस्तांकित किया जाय।

3.17 jkt; ds i uxBu ij vo'k'kk dk foHkk tu

संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन 9 नवम्बर 2000 से प्रभावी होने के करीब दो दशक के पश्चात् भी उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य जमा और अग्रिम (मुख्य शीर्ष 8336–सिविल जमा से मुख्य शीर्ष 8550–सिविल अग्रिम तक) के अन्तर्गत प्रदर्शित अवशेष धनराशि ₹ 8,757.37 करोड़ विभाजन हेतु अवशेष था।

/ ।।८८८% राज्य सरकार द्वारा जमा और अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।

स झफा

॥ fjr tQkh

प्रधान महालेखाकार (जी० एण्ड एस०एस०ए०)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद

दिनांक 19 नवम्बर-2019

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 21st November, 2019

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

